निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

राजस्थान सरकार

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

क्रमांकः एफ.18(1)भनिकम/बैठक/2009/पार्ट–II/भामा./48 जयपुर, दिनांकः 05.01.2016

–: अधिसूचना :–

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–22 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) से (एच) के प्रावधान तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 के नियम–57 एवं 58 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में मण्डल द्वारा हिताधिकारियों एवं उनके आश्रितों की शिक्षा व कौशल विकास की "शिक्षा सहायता (छात्रवृति) योजना" (अधिसूचना दिनांक 28.04.2011 द्वारा अधिसूचित तथा अधिसूचना दिनांक 26.06.2015 द्वारा यथा संशोधित), "मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना" (अधिसूचना दिनांक 23.12.2011 द्वारा अधिसूचित तथा अधिसूचना दिनांक 26.06.2015 द्वारा यथा संशोधित) तथा "कौशल शक्ति योजना–2014" (अधिसूचना दिनांक 09.12.2014 द्वारा अधिसूचित), "हिताधिकारियों द्वारा आवास का निर्माण करने के लिए अनुदान योजना" (अधिसूचना दिनांक 23.12.2011 द्वारा अधिसूचित तथा अधिसूचना दिनांक 24.09.2015 द्वारा यथा संशोधित) व "गम्भीर बिमारियों के उपचार पर व्यय के पुनर्भरण की योजना" (अधिसूचना दिनांक 23.12.2011 द्वारा अधिसूचित तथा अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा यथा संशोधित) लागू की गई है। इन योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन कर तथा देय हितलाभ में अभिवृद्धि करने की **भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना** निम्नानुसार अधिसूचित की जाती है:–

"**भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना**"– यह योजना निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बहुआयामी योजना है, जिसके अन्तर्गत निम्न 4 योजनाएं होंगी :–

1. **निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना**
2. **निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना**
3. **निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना**
4. **निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना**

1. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

1. संक्षिप्त नाम, उद्देश्य, विस्तार, परिधि और लागू होना –

1.1 यह योजना "निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना" कहलाएगी। यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22(1)(ई) सपठित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत प्रवर्तित की जाती है।

1.2 इस योजना का उद्देश्य मण्डल की शिक्षा व कौशल विकास की विद्यमान 3 योजनाओं (शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना, मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना तथा कौशल शक्ति योजना) को एकीकृत कर तथा देय हितलाभ में अभिवृद्धि कर निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों के बच्चों की शिक्षा व कौशल विकास को प्रोत्साहित करने की एकीकृत योजना बनाकर लागू करना है।

1.3 यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी।

1.4 यह योजना 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ –

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

2.1 "अधिनियम" का आशय भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है;

2.2 "नियम, 2009, का आशय राजस्थान भवन और संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियमन) नियम,2009 से अभिप्रेत है;

2.3 "मण्डल" का आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान से अभिप्रेत है;

2.4 "सचिव" का आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है ;

2.5 "शिक्षा स्तर" का तात्पर्य कक्षा पहली से स्नातक तथा स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं से अभिप्रेत है। प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8वीं तक, माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9 से 10वीं तक, उच्च माध्यमिक में कक्षा 11वीं से 12वीं तक, स्नातक स्तर में बी.ए., कॉम, बी. एस.सी, बी.ई., एम.बी.बी.एस. तथा अन्य सभी स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर में एम.ए., एम.कॉम, एम.एस.सी., एम.ई, एम.डी., एम.एस. एम.सी.ए. आदि पाठ्यक्रम तथा आईटीआई व डिप्लोमा एवं अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम आदि शामिल है।

2.6 "डिप्लोमा" से आशय पॉलिटेक्नीक, इंजीनियरिंग तथा अन्य डिप्लोमा से है तथा प्रोफेशनल कोर्स से आशय चिकित्सा, अभियांत्रिकी, बीई, बीटेक, एमबीए, एमडी, एमएस, एमटेक, एमसीए आदि कोर्स से है।

2.7 जिन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों/कोर्सेज में दाखिला लेने की न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा निर्धारित है, उनके लिए डिप्लोमा स्तर की छात्रवृत्ति देय होगी तथा जिन डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रमों/कोर्सेज में दाखिला लेने की न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता, स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करना निर्धारित है, उनके लिए क्रमशः स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की छात्रवृत्ति देय होगी।

2.8 "छात्र" का तात्पर्य उन छात्र/छात्राओं से है जो किसी शासकीय शिक्षण संस्था में या केन्द्र/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त गैर–शासकीय/निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं;

2.9 विशेष योग्यजन से आशय Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों में यथा परिभाषित विशेष योग्यजन से है।

2.10 "शिक्षण संस्था" का आशय, शासकीय तथा केन्द्र/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त गैर–शासकीय/निजी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था, जिसके अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, डिप्लोमा आदि का शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य संचालित किया जाता है, अभिप्रेत है।

2.11 "परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन" उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित है।

3. योजना में देय हितलाभ –

इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को निम्न दर से छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि देय होगी :–

छात्रवृति	कक्षा 6 से 8		कक्षा 9 से 12		आईटीआई		डिप्लोमा*	
	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन
राशि रू.	8,000	9,000	9,000	10,000	9,000	10,000	10,000	11,000

छात्रवृति	स्नातक (सामान्य)		स्नातक (प्रोफेशनल)*		स्नातकोत्तर (सामान्य)		स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)*	
	छात्र	छात्रा / विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा / विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा / विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा / विशेष योग्यजन
राशि रू.	13,000	15,000	18,000	20,000	15,000	17,000	23,000	25,000

मेधावी छात्र / छात्राओं को नकद पुरस्कार	कक्षा 8 से 10	कक्षा 11–12	डिप्लोमा	स्नातक	स्नातकोत्तर	स्नातक (प्रोफेशनल)*	स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)*
राशि रू.	4,000	6,000	10,000	8,000	12,000	25,000	35,000

*(परिभाषा के बिन्दु संख्या 2.6 में यथा परिभाषित)

4. पात्रता एवं शर्तें –

इस योजना में छात्रवृति / प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए निम्न पात्रता व शर्तें निर्धारित की जाती है:–

4.1 मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो;

4.2 हिताधिकारी के पुत्र / पुत्री / पत्नि ही शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिए पात्र होंगे;

4.3 हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, परन्तु यदि पति–पत्नि दोनों पंजीबद्ध हिताधिकारी हों तो पति–पत्नि के अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। परन्तु मेधावी छात्र / छात्राओं को नगद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी;

4.4 कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा में सरकारी या केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो; अथवा

4.5 राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो;

4.6 मेधावी छात्र–छात्रा द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा 75% अंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा, इंजिनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल परीक्षा सहित) 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो / उत्तीर्ण की हो;

4.7 हिताधिकारी की पत्नि को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत हो;

4.8 किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पश्चात् ही देय होगी;

4.9 ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षण / प्रशिक्षण संस्था खुलने पर छात्र / छात्रा द्वारा आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने पर ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। परन्तु 12वीं कक्षा, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में आगामी कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक नहीं होगा;

4.10 अधिनियम की धारा 17 तथा नियम, 2009 के नियम 45 के प्रावधानानुसार जो हिताधिकारी लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अंशदान जमा नहीं करता है तो वह हिताधिकारी नहीं रहेगा, अतः ऐसे अंशदाई के जमा कराने में चूक करने वाले निर्माण श्रमिक के पुत्र / पुत्री / पत्नि को योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। परन्तु उपरोक्त धारा एवं नियम के परन्तुक के अधीन हिताधिकार पुनर्स्थापन (restoration) होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।

5. आवेदन की समय–सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया –

5.1 प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति पाने हेतु निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र–1) में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

5.2 निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5.3 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि– आवेदन पत्र कक्षा उतीर्ण करने की तिथि से अधिकतम् 6 माह की अवधि में अथवा तत्पश्चात् आने वाली 31 मार्च तक, जो भी बाद में हो, प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5.4 उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर छात्रवृत्ति हिताधिकारी के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/ एनईएफटी) से अथवा अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

6. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज –

निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए व सभी पूर्ति किये हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:–

6.1 हिताधिकारी के पंजीयन परिचय–पत्र की प्रति।

6.2 हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।

6.3 हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति। (वैकल्पिक)

6.4 जिस कक्षा या कोर्स के लिए छात्रवृति चाही गई है, उसकी अंकतालिका की स्व प्रमाणित प्रति।

6.5 शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा प्रपत्र के निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर एवं मुहर लगाया जाना आवश्यक है।

विशेषः– सक्षम अधिकारी/कार्यालय द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा आवेदक को उसी समय वांछित पूर्ति के लिए लौटा दिये जायेंगे।

7. योजना का प्रारंभ –

7.1 यह योजना वर्ष 2014–15 के शैक्षणिक वर्ष की परीक्षा से अर्थात् 1 अप्रेल, 2015 से क्रियान्वित की जायेगी। जिन लाभार्थियों को वर्ष 2014–15 के शैक्षणिक वर्ष की परीक्षा के लिए अप्रेल, 2015 से अब तक मण्डल की विद्यमान योजनाओं के अन्तर्गत हितलाभ दिये जा चुके हैं, उन्हें नई योजना में देय छात्रवृत्ति के अनुसार अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा तथा जिनके आवेदन लम्बित हैं या प्राप्त होते हैं, उन्हें नई योजना की दरों के अनुसार छात्रवृत्ति राशि देय होगी।

परन्तु विद्यमान योजनाओं के अन्तर्गत निस्तारित या लम्बित आवेदनों का निस्तारण इस योजना (निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना) के प्रावधानानुसार आधार या भामाशाह कार्ड की प्रति प्राप्त कर, छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करना आवश्यक होगा।

7.2 इस योजना के लागू होने की तिथि से शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना, मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना तथा कौशल शक्ति योजना प्रभावी नहीं रहेगी।

8. विसंगति का निराकरण –

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

प्रपत्र–1 (शिक्षा)

(निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना हेतु आवेदन–पत्र)

भाग–(अ)

(प्रविष्टियां आवेदक द्वारा साफ–साफ स्पष्ट अक्षरों में भरी जावें)

छात्र / छात्रा का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

1. आवेदक (छात्र / छात्रा) का नाम : श्री / श्रीमती / कुमारी .....
2. जन्मतिथि : (दिन / माह / वर्ष) .....
3. पिता / पति का नाम (पूरा नाम लिखें): .....
4. हिताधिकारी से सम्बन्धित जानकारी–

4.1 हिताधिकारी का नाम .....

4.2 हिताधिकारी का पता : (i) मकान संख्या ..... (ii) मोहल्ला / गाँव .....
(iii) ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) / वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र) ..... ब्लॉक / शहर .....
जिला .....

4.3 मोबाईल नम्बर : .....

4.4 आधार कार्ड संख्या (वैकल्पिक) (प्रति संलग्न करें) : .....

5.4 भामाशाह कार्ड संख्या (वैकल्पिक) (प्रति संलग्न करें): .....

5.5 पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि : .....

5.6 अंतिम बार अंशदान जमा करने की तिथि : .....

5.7 पंजीयन अधिकारी का पदनाम व स्थान
(श्रम विभाग / बीडीओ / सानिवि, पीएचईडी अथवा जल संसाधन विभाग का एईएन आदि) .....

5.8 आवेदनकर्ता से सम्बन्ध (पुत्र / पुत्री / पत्नी) .....

5.9 क्या अन्य किसी पुत्र / पुत्री के लिए भी आवेदन किया गया है: हां / नहीं (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

5.10 हिताधिकारी के बैंक खाते का विवरण–

(i) बैंक का नाम ..... (ii) बैंक की शाखा का नाम .....

(iii) खाता संख्या ..... (iv) बैंक का आईएफएससी कोड .....

6. यदि पति–पत्नी दोनों पंजीकृत हिताधिकारी हैं, तो माता के सम्बन्ध में जानकारी–

6.1 हिताधिकारी माता का नाम .....

6.2 पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि .....

नोट– यदि पिता व माता दोनों हिताधिकारी हैं तो उपरोक्त (6) की प्रविष्टियां अनिवार्य हैं.

7. विगत शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गई परीक्षा का विवरण दें (अंक सूची की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

क्रमांक	विषय वस्तु	विवरण
1.	उत्तीर्ण की गई परीक्षा / कक्षा का नाम	
2.	उत्तीर्ण की गई परीक्षा का विवरण–	
	1 श्रेणी	
	2 पूर्णांक तथा प्राप्तांक / ग्रेड	
	3 प्राप्तांक प्रतिशत / ग्रेड	
3.	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	
4.	विश्वविद्यलाय / शिक्षा बोर्ड का नाम	
5.	शिक्षण / प्रशिक्षण संस्था का नाम व पूरा पता	
6.	विशेष विवरण (शिक्षा सत्र में हुए व्यवधान, यदि कोई हो तो, का विवरण)	

8. उस शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां इस वर्ष अध्ययनरत हैं .....
(यदि 12वीं कक्षा, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे प्रवेश नहीं लिया हो तो स्पष्ट अंकित करें)

8.1 पाठ्यक्रम/कक्षा जिसके लिए छात्रवृत्ति चाही गई है : .....

8.2 क्या मेधावी छात्र/छात्रा के लिए प्रोत्साहन राशि भी चाही गई है,
यदि हां तो पाठ्यक्रम/कक्षा : .....

8.3 इस वर्ष किस कक्षा में अध्ययनरत है : .....

8.4 कक्षा में प्रवेश की तिथि/माह : .....

9. क्या आपको इस वर्ष किसी अन्य योजना में छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है ?
यदि हां, तो नाम व राशि : .....

10. क्या आप कोई पूर्णकालीन सेवा करते हैं? : हां/नहीं (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

आवेदक तथा हिताधिकारी की घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने योजना के विनियम पढ़ लिए हैं तथा इस आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण सही है। मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दिया गया कोई विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसका निर्णय अन्तिम होता है, गलत पाया गया तो उसका निर्णय मेरे/हमारे लिए अन्तिम और बन्धनकारी होगा और मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण छात्रवृत्ति की राशि या अधिक भुगतान की कोई छात्रवृत्ति की राशि मुझसे/हमसे मांगी जाने पर वापिस करूंगा/करेंगें तथा ऐसा न किए जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी, यह राशि ऐसे किसी भी तरीके से, जो वह उचित समझे, वसूल कर सकेगा।

1. आवेदक (छात्र/छात्रा) का नाम	1. हिताधिकारी का नाम
2. हस्ताक्षर	2. हस्ताक्षर अथवा निशानी दाहिना/बायां अंगूठा
3. स्थान 4. तारीख	3. छात्र से सम्बन्ध (पुत्र/पुत्री/पत्नी)

भाग (ब)

(उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाए जहां आवेदक अध्ययनरत हो या अंतिम बार अध्ययनरत रहा हो)

शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम) ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... इस संस्था में कक्षा/पाठ्यक्रम ..... के ..... वर्ष में इस वर्ष अध्ययनरत है, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता .....उत्तीर्ण होना है अथवा उसने उक्त पाठ्यक्रम/कक्षा इस संस्था से गत शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण की है (जो लागू न हो उसे काट दें)। आवेदक द्वारा भाग (अ) में दी गई जानकारी जांची गई एवं वह सही है। जहां संशोधन आवश्यक था उसको लाल स्याही से अंकित किया गया है। यह संस्था ..... विश्वविद्यालय/मण्डल से सम्बद्ध है तथा केन्द्र/राज्य शासन..... (मान्यता का उल्लेख करें) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

पता	संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
	नाम
तारीख	पदनाम
	संस्था की मुहर

11. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की चैक लिस्टः–

1. हिताधिकारी के पंजीयन परिचय–पत्र की प्रति। हां/नहीं	2. हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति। हां/नहीं
3. हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति। हां/नहीं	4. जिस कक्षा या कोर्स के लिए छात्रवृति चाही गई है, उसकी अंकतालिका की स्व प्रमाणित प्रति। हां/नहीं
5. आवेदन में सभी प्रविष्ठियाँ की गई है और शिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर कर मुहर लगायी गई है। हां/नहीं	

राजस्थान सरकार

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राज.

क्रमांकः–एफ.18(122)भनिकम/ 90 जयपुर, दिनांकः 6/4/2017.

परिपत्र

विषयः– निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की समय सीमा 01 मई, 2017 तक बढ़ाये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा दिनांक 05.01.2016 को अधिसूचित "निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना" के बिन्दु संख्या 5.3 में योजना के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि का उल्लेख किया गया है। योजना में 31 मार्च तक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

मण्डल के परिपत्र क्रमांकः एफ18(199)भनिकम/LDMS/2015/11434 दिनांक 30.08.2016 द्वारा योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था को अनिवार्य किये जाने के बारे में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

कतिपय कुछ जिलों से के जनप्रतिनिधिगण एवं निर्माण श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि बड़ी संख्या में हिताधिकारियों के भामाशाह कार्ड/आधार कार्ड तैयार न होने तथा उक्त योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा का ज्ञान नही होने के कारण योजना के अन्तर्गत देय हित लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गये है।

हिताधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2015–16 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि 01 मई, 2017 तक बढ़ाई जाती है।

(डॉ. पृथ्वी)
श्रम आयुक्त
एवं सचिव, मण्डल

क्रमांकः–एफ.18(122) भनिकम/ 91–136. जयपुर, दिनांकः 6/4/2017.

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय मंत्री श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, कार्यालय प्रमुख शासन, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
3. ..... सदस्य, BOCW बोर्ड।
4. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी ..... (समस्त)।
5. रक्षित पत्रावली।

अति. श्रम आयुक्त
एवं संयुक्त सचिव, मण्डल

राजस्थान सरकार

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राज.

क्रमांकः–एफ.18(1)/कल्याण मण्डल/बैठक/2017/18939 जयपुर, दिनांक :24-9-2018

परिपत्र

मण्डल द्वारा दिनांक 05.01.2016 को अधिसूचित निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के बिन्दु संख्या 4.8 में किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात ही देय होगी, का प्रावधान है। कतिपय जिलों द्वारा इस बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा गया है कि क्या ग्रेस से उत्तीर्ण होने अथवा पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति दी जाए अथवा नहीं।

उपरोक्त बिन्दु पर मण्डल की 28वीं बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि:–

1. **ग्रेस से पास एवं पूरक परीक्षा मे उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति दी जावे।**

2. **हिताधिकारी को पूरक परीक्षा के सफल परिणाम घोषित होने के उपरान्त मुख्य परीक्षा तथा पूरक परीक्षा की अंकतालिका ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।**

3. **पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।**

उपरोक्तानुसार प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जावें।

भवदीय

(डॉ. पृथ्वी)
श्रम आयुक्त एवं
सचिव, मण्डल

क्रमांकः–एफ.18(1)/कल्याण मण्डल/बैठक/2017/18940-19213 जयपुर, दिनांक : 24-9-2018

प्रतिलिपि :– 1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यालय शासन सचिव, श्रम नियोजन विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण अधिकारी.....(समस्त)।
4. विकास अधिकारी ..... (समस्त)।
5. ए.सी.पी./प्रभारी एलडीएमएस मुख्यालय, श्रम विभाग, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
6. रक्षा पत्रावली।

अति. श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव मण्डल

राजस्थान सरकार
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

क्रमांकः एफ.18(1)श्रम/भनिकम/9208 जयपुर, दिनांकः 28.12.2020

अधिसूचना

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन की सेवा शर्तो का विनियमन) नियम 2009 के नियम 57 एवं नियम 58 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान, की अधिसूचना क्रमांक एफ.18(1)श्रम/भनिकम/2014/5008 दिनांक 08.07.2014 द्वारा अधिसूचित की गई **"निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना"** के प्रावधानों में, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान, की दिनांक 02.09.2020 को आयोजित 30वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार योजना के बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत योजना में देय हितलाभ की यथास्थिति रखते हुए निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है :–

"10वीं अथवा 12वीं कक्षा की परीक्षा में संबंधित बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के, मैरिट में प्रथम दस में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चों को, वर्तमान में दी जा रही प्रोत्साहन राशि क्रमशः रूपये 4000/– अथवा रूपये 6000/– के स्थान पर रूपये 1 लाख की प्रोत्साहन राशि देय होगी।"

उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगें।

(प्रतीक झाझड़िया)
श्रम आयुक्त एवं सचिव,
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल

क्रमांकः एफ.18(1)श्रम/भनिकम/9209-59 जयपुर, दिनांकः 28.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं नियोजन तथा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्री/श्रीमति/सुश्री.....(मण्डल सदस्य)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, ... (समस्त)।
7. श्रम कल्याण अधिकारी, ... (समस्त)।
8. लेखाधिकारी (मण्डल)।
9. ACP मुख्यालय को योजना की प्रति व योजना का आवेदन LDMS पर तथा विभाग की वेबसाइट पर डलवाने हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल